

उत्तराखण्ड वन पंचायत संशोधन नयिमावली को स्वीकृति दी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में वन पंचायतों को मज़बूत और आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास में, उत्तराखण्ड सरकार ने एक कैबिनेट बैठक के दौरान वन पंचायत संशोधन नयिमावली को स्वीकृति दे दी, जिसके तहत ब्रिटिश काल के 'वन पंचायत के अधिनियमों' में संशोधन किया गया है।

मुख्य बंदि:

- नए नयिमों के अनुसार नौ सदस्यीय वन पंचायत बनाई जाएगी, जसि जड़ी-बूटी उत्पादन, वृक्षारोपण, जल संचयन, वनाग्नि रोकथाम, इको-पर्यटन में भाग लेने का अधिकार होगा।
- पहली बार वन पंचायत के वन प्रबंधन से त्रसितरीय स्थानीय नकियों को भी जोड़ा गया है।
 - वन पंचायत की अवधारणा - कानूनी रूप से सीमांकित ग्राम वन, जनिका प्रबंधन और उनके प्राकृतिक संसाधनों को ग्राम समुदायों द्वारा साझा किया जाता है, वर्ष 1921 में शुरू की गई।
- उत्तराखण्ड भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ वन पंचायत प्रणाली लागू है।
 - यह एक ऐतहासिक सामुदायिक वन प्रबंधन संगठन है जो वर्ष 1930 से संचालित हो रहा है।
 - वर्तमान में राज्य में 11,217 वन पंचायतें हैं जनिमें 4.52 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र है।
- कैबिनेट ने शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने और पुरानी डीज़ल ईंधन वाली बसों और थ्री व्हीलर टेम्पो से होने वाले प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से 'उत्तराखण्ड क्लीन मोबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिसी' को स्वीकृति दे दी।
 - यह नीति सबसे पहले देहरादून में लागू की जाएगी और उसके बाद अन्य जिलों में वसितारति की जाएगी।